न्यायालयः– अपर जिला न्यायाधीश, सादुलशहर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी	:–	**दीपा शर्मा, R.J.S.** **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
प्रकरण संख्या **(हिन्दू विवाह अधिनियम)**	:–	54/2025
सी.आई.एस. नंबर	:–	54/2025
सी.एन.आर. नंबर	:–	RJSG240002522025

सोनू पत्नी शिशपाल पुत्री मदनलाल, निवासी–रामगढ़ हाल आबाद मम्मड़खेड़ा, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर (राज.)।

....याची

बनाम

शिशपाल पुत्र बलराम , निवासी–मम्मड़खेड़ा, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर (राज.)।

....अयाची

विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13 ए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

(1) श्री संजय कुमार–विद्वान न्यायमित्र/अधिवक्ता–याची की ओर से।

(2) श्री त्रिलोक चंद चायल–विद्वान न्यायमित्र/अधिवक्ता–अयाची की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांकः–16.03.2026

01. याची सोनू की ओर से अयाची शिशपाल के विरूद्ध यह याचिका अन्तर्गत धारा 13 ए हिन्दू विवाह अधिनियम, विवाह विच्छेद हेतु दिनांक 01.07.2025 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

02. हस्तगत याचिका में याची सोनू की ओर से इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि याची सोनू का विवाह, अयाची शिशपाल के साथ हिन्दू धर्म के अनुसार अग्नि के समक्ष फेरे लेकर मम्मड़ गाँव में रिश्तेदारों व बिरादरी के लोगों के समक्ष दिनांक 21.06.2010 को सम्पन्न हुआ था। दोनों पक्षकार विवाह के समय हिन्दू धर्म का पालन करते थे तथा आज भी हिन्दू धर्म का पालन करते हैं। विवाह के मामले में वे हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों से शासित होते हैं। विवाह के पश्चात् याची व अयाची पति–पत्नी के रूप में अयाची के निवास स्थान पर निवास करने लगे। याची व अयाची के वैवाहिक संबंधों से दो संतान पुत्र मनीष व पुत्री आरूषी का जन्म हुआ, जिनकी उम्र क्रमशः 13 वर्ष व 14 वर्ष है, जिसमें से पुत्री आरूषी अयाची शिशपाल के पास रहती है तथा पुत्र मनीष याची सोनू के पास रहता है। शादी के कुछ

समय पश्चात् अयाची व उसके परिवार के द्वारा याची के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट की जाने लगी, लेकिन याची अपना वैवाहिक जीवन बचाने के लिए सब कुछ यह सोच कर सहन करती रही कि धीरे–धीरे अयाची व उसके परिवार का व्यवहार याची के प्रति ठीक हो जायेगा, लेकिन अयाची का व्यवहार याची के प्रति दिन– प्रतिदिन और क्रूर होता चला गया। अयाची के द्वारा याची से दहेज के रूप में मोटरसाइकिल व एक लाख रूपये की मांग की जाने लगी। याची ने कहा कि उसके माता–पिता गरीब हैं और वे, उसको और दहेज नहीं दे सकते, तो अयाची, याची को ताना देते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता और गाली–गलोच कर उसके साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट करता। अयाची, याची के साथ रह रहे पुत्र मनीष को कहता कि "तू तो किसी और की औलाद है।" वह, याची को भी बार–बार कहता कि "तू तो एक वैश्या औरत है, जो गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है और यह पुत्र मनीष भी मेरी औलाद नहीं है, किसी और की औलाद है।" यह कहकर वह, मनीष पुत्र व याची सोनू के साथ मारपीट करता। वर्ष 2023 में याची को पता चला कि अयाची शिशपाल के किसी अन्य औरत के साथ नाजायज संबंध है। याची ने इस बात को लेकर अयाची को कहा, तो अयाची ने याची के साथ बुरी तरह मारपीट की और याची को मय नाबालिग पुत्र मनीष, घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। याची ने जब अपने परिवार के सदस्यों को यह बात बताई, तो परिवार के सदस्यों ने अयाची के निवास स्थान पर पंचायत की, जिस पर अयाची ने अपनी गलती मानते हुए भविष्य में ऐसा ना करने का आश्वासन दिया, परन्तु अयाची फिर भी गैर औरत से फोन पर दिन–रात बातें करता था और उससे मिलने जाता था। वर्ष 2024 में अयाची उस गैर औरत को अपने साथ अपने घर में ले आया, जिस पर याची ने ऐतराज किया, तो अयाची मरने–मारने पर उतारू हो गया और याची को पहने हुए कपड़ों में मय नाबालिग पुत्र मनीष घर से निकाल दिया, जिस पर याची दूसरे दिन अपने भाई सुभाष, फूंफा प्रकाश, पिता व माता को लेकर अयाची के घर गयी, जिस पर अयाची ने कहा कि "मैं आपकी पुत्री को नहीं बसाना चाहता, मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ, मैं तो उस गैर औरत के साथ ही घर बसाउंगा।'' याची वर्ष 2024 से अपने पति से अलग रह रही है और याची ने अपने परिवार को बचाने के लिए अयाची के परिवार के साथ गाँव मम्मड़ में पंचायतें की, परन्तु मम्मड़खेड़ा में अयाची के निवास स्थान पर हुई पंचायत में अयाची ने याची के साथ बसने से इन्कार कर दिया। वर्ष 2024 से याची व अयाची अलग–अलग स्थानों पर निवास कर रहे हैं। वर्तमान याचिका प्रस्तुत करने में पक्षकारों के मध्य कोई दुर्भिसन्धि नहीं है। अंत में याचिका के न्यायालय के क्षेत्राधिकार की होने का एवं उसे उचित न्यायालय शुल्क

पर पेश करने इत्यादि का कथन करते हुए उसने, याचिका में वर्णितानुसार उसे अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

03. उक्त याचिका का अयाची शिशपाल की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

04. याची सोनू की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में अवसर दिए जाने के उपरांत भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई, जिस पर उसकी साक्ष्य बंद की गयी। इसी प्रकार से अयाची शिशपाल की ओर से भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

05. बहस अंतिम सुनी गई।

06. दौराने बहस उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत याचिका के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न यह है किः–

"क्या याची सोनू याचिका में वर्णितानुसार अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है?"

इस सम्बन्ध में याची सोनू की ओर से इस आशय के अभिवचन/अभिकथन रहे हैं कि याची सोनू का विवाह, अयाची शिशपाल के साथ हिन्दू धर्म के अनुसार अग्नि के समक्ष फेरे लेकर मम्मड़ गाँव में रिश्तेदारों व बिरादरी के लोगों के समक्ष दिनांक 21.06.2010 को सम्पन्न हुआ था। दोनों पक्षकार विवाह के समय हिन्दू धर्म का पालन करते थे तथा आज भी हिन्दू धर्म का पालन करते हैं। विवाह के मामले में वे हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों से शासित होते हैं। विवाह के पश्चात् याची व अयाची पति–पत्नी के रूप में अयाची के निवास स्थान पर निवास करने लगे। याची व अयाची के वैवाहिक संबंधों से दो संतान पुत्र मनीष व पुत्री आरूषी का जन्म हुआ, जिनकी उम्र क्रमशः 13 वर्ष व 14 वर्ष है, जिसमें से पुत्री आरूषी अयाची शिशपाल के पास रहती है तथा पुत्र मनीष याची सोनू के पास रहता है। शादी के कुछ समय पश्चात् अयाची व उसके परिवार के द्वारा याची के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट की जाने लगी, लेकिन याची अपना वैवाहिक जीवन बचाने के लिए सब कुछ यह सोच कर सहन करती रही कि धीरे–धीरे अयाची व उसके परिवार का व्यवहार याची के प्रति ठीक हो जायेगा, लेकिन अयाची का व्यवहार याची के प्रति दिन– प्रतिदिन और क्रूर होता चला गया। अयाची के द्वारा याची से दहेज के रूप में मोटरसाइकिल व एक लाख रूपये की मांग की जाने लगी। याची ने कहा कि उसके माता–पिता गरीब हैं और वे, उसको और दहेज नहीं दे सकते, तो अयाची, याची को ताना देते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता और गाली–गलोच कर उसके साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट करता। अयाची, याची के

साथ रह रहे पुत्र मनीष को कहता कि "तू तो किसी और की औलाद है।" वह, याची को भी बार–बार कहता कि "तू तो एक वैश्या औरत है, जो गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है और यह पुत्र मनीष भी मेरी औलाद नहीं है, किसी और की औलाद है।" यह कहकर वह, मनीष पुत्र व याची सोनू के साथ मारपीट करता। वर्ष 2023 में याची को पता चला कि अयाची शिशपाल के किसी अन्य औरत के साथ नाजायज संबंध है। याची ने इस बात को लेकर अयाची को कहा, तो अयाची ने याची के साथ बुरी तरह मारपीट की और याची को मय नाबालिग पुत्र मनीष, घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। याची ने जब अपने परिवार के सदस्यों को यह बात बताई, तो परिवार के सदस्यों ने अयाची के निवास स्थान पर पंचायत की, जिस पर अयाची ने अपनी गलती मानते हुए भविष्य में ऐसा ना करने का आश्वासन दिया, परन्तु अयाची फिर भी गैर औरत से फोन पर दिन–रात बातें करता था और उससे मिलने जाता था। वर्ष 2024 में अयाची उस गैर औरत को अपने साथ अपने घर में ले आया, जिस पर याची ने ऐतराज किया, तो अयाची मरने–मारने पर उतारू हो गया और याची को पहने हुए कपड़ों में मय नाबालिग पुत्र मनीष घर से निकाल दिया, जिस पर याची दूसरे दिन अपने भाई सुभाष, फूंफा प्रकाश, पिता व माता को लेकर अयाची के घर गयी, जिस पर अयाची ने कहा कि "मैं आपकी पुत्री को नहीं बसाना चाहता, मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ, मैं तो उस गैर औरत के साथ ही घर बसाउंगा।'' याची वर्ष 2024 से अपने पति से अलग रह रही है और याची ने अपने परिवार को बचाने के लिए अयाची के परिवार के साथ गाँव मम्मड़ में पंचायतें की, परन्तु मम्मड़खेड़ा में अयाची के निवास स्थान पर हुई पंचायत में अयाची ने याची के साथ बसने से इन्कार कर दिया। वर्ष 2024 से याची व अयाची अलग–अलग स्थानों पर निवास कर रहे हैं। वर्तमान याचिका प्रस्तुत करने में पक्षकारों के मध्य कोई दुर्भिसन्धि नहीं है, परन्तु अपने उक्त अभिवचनों/अभिकथनों की संपुष्टि में किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य याची सोनू की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त यद्यपि अयाची शिशपाल की ओर से याची सोनू की ओर से रहे उपरोक्त अभिवचनों/अभिकथनों के खण्डन में अभिवचन/अभिकथन नहीं रहे है, परन्तु यह सुस्थापित विधि है कि जब कोई पक्षकार किसी तथ्य को न्यायालय के समक्ष लेकर आता है, तो उस तथ्य को प्रमाणित करने का भार भी उसी पर होता है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में याची सोनू, जो तथ्य न्यायालय के समक्ष लेकर आयी है, उस सन्दर्भ में उसकी ओर से लेशमात्र भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार याची सोनू की ओर से उक्त अवधारणीय बिन्दु के साबित करने के भार को उन्मोचित नहीं किया गया है, अतः ऐसी

स्थिति में सम्पुष्ट साक्ष्य के अभाव में याची सोनू की ओर से प्रस्तुत हस्तगत याचिका को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा याची सोनू न्यायालय से किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं पायी जाती है।

–आदेश–

07. परिणामतः याची सोनू की ओर से प्रस्तुत हस्तगत याचिका बाबत् विवाह विच्छेद विरूद्ध अयाची शिशपाल को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा दोनों पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा नियमानुसार तैयार किया जावे।

(दीपा शर्मा)

08. यह निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(दीपा शर्मा)

VINOD KUMAR

steno Gr.II
"Authenticate Document"
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.03.17 09:40:40 +0530